

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शिक्षा/उत्तर/की/102)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26-3-09

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त आयुक्त नगरपालिक निगम,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
6. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत,
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

विषय:-अध्यापक संवर्ग में नियोजित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के प्रशासकीय तथा अनुशासनिक नियंत्रण के संबंध में।

—0—

अध्यापक संवर्ग में संविलियन/नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के प्रशासकीय तथा अनुशासनिक नियंत्रण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के नियम 8 (क) के अनुसार जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार घोषित किए गए हैं :-

अनु क्रमांक	अध्यापक संवर्ग	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग	जिला कलेक्टर
2.	अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग	जिला कलेक्टर
3.	सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग	जिला कलेक्टर


मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.07.99 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के उपसंचालक, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त तथा खंड शिक्षा अधिकारी

को पंचायत के पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (स्कूल शिक्षा) घोषित किया गया है। अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।

2- मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के नियम 8 (क) के अनुसार नगरीय निकाय के अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार घोषित किए गए हैं :-


अनु क्रमांक	अध्यापक संवर्ग	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग	जिला कलक्टर
2.	अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग	जिला कलक्टर
3.	सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/ सहायक आयुक्त/विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग	जिला कलक्टर

अध्यापक संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों का निराकरण उक्तानुसार प्रदत्त शक्तियों के अनुसार करने का कष्ट करें।


(व्ही.एस. सक्सेना)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 26-3-09

पृष्ठांकन क्रमांक/ शिक्षा/अ/अ/१/१३/
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.